न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00039 दायरा दिनांक : 06.07.2020

उनवान

1– बाबूलाल पुत्र कल्ला
2– रामकजोड़ पुत्र कल्ला
3– मेघराज पुत्र कल्ला
4– भरोसी बाई पुत्री कल्ला
5– नटी बाई बेवा कल्ला जर्ये कायम मुकाम मृतक कल्ला पुत्र हीरालाल, जाति एरवाल, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– मूर्ति मंदिर शंकर जी महाराज विराजमान भूमि खसरा नम्बर 102 जर्ये पुजारी कन्हैयालाल पुत्र गोरीशंकर, जाति धाकड़, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छवड़ा, जिला बारां
2– गोरीशंकर पुत्र धन्नालाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकाम :–
2/1. जगदीश पुत्र स्वर्गीय गोरीशंकर
2/2. कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय गोरीशंकर
2/3. भूलीबाई पुत्री स्वर्गीय गोरीशंकर
2/4. भगवतीबाई पुत्री स्वर्गीय गोरीशंकर
2/5. द्वारका बाई पुत्री स्वर्गीय गोरीशंकर
जाति धाकड़, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज.)
3– जानकीलाल आत्मज हीरालाल, जाति एरवान, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकाम :–
3/1. जगदीश पुत्र स्वर्गीय जानकीलाल, जाति एरवान निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज.)
4– द स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 09.07.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 105/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी कल्ला व जानकीलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण के पिता हीरा लाल के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नं. 38/2 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि यह कि निर्णय एवं डिक्री विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज किया कि अपीलांट एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा रेस्पोडेंट कम 1 शास्वत नाबालिग है तथा रेस्पोडेंट कम 2 के सामान्य केटेगिरी में आने के कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 बी का वोईलेशन है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी नम्बर 4 को माध्यम बनाते हुए वादी का वाद खारिज किया, जबकि प्रारम्भिक बेचान ही यदि शून्य हो तो उसके बाद के समस्त समव्यवहार शून्य होगे, इस कारण से गुडकी लाल द्वारा किया गया दान प्रारम्भ से ही शून्य हैं इस कारण, से न्यायालय द्वारा यह मत देना कि गुडकी लाल के द्वारा स्वेच्छा से अपने खातेदारी का परित्याग किया, वह विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी नम्बर 2 व तनकी नम्बर 4 के निर्णय करने में जो विराधाभाषी तर्क दिये हैं वह भी निर्णय में पारदर्शिता की श्रेणी में नहीं आता है, चमार के खाते दर्ज है। तनकी नम्बर 2 सम्वत 2009 की खतौनी में खसरा नम्बर 38/2 का रकबा 10.17 बीघा खातेदार हीरा पुत्र घासी कोम तथा तनकी नम्बर 4 को तय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व मत को पूर्ण रूप से बदल दिया तथा रजिस्टर्ड दान को सही माना जबकि विवादित भूमि प्रारम्भ से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी से रक्षित थी। इस कारण से तनकी नम्बर 2 व 4 के निर्धारण में न्यायालय का मद विरोधाभाष से ग्रसित होने के कारण निर्णय जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किया कि गुडकीलाल द्वारा स्वेच्छा बिना प्रतिफल के शंकर जी महाराज को दान में दे दी तथा अपने खातेदारी अधिकारों का परित्याग करके कब्जा छोड़ दिया है। जो धारा 63 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत होने से उचित है, जबकि धारा 63 (2) के उपबन्धों का अवलम्बन निर्णय में नहीं लिया जा सकता है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्योंकि उक्त विवादित भूमि सैटलमेंट से पूर्व अपीलांटगण के दादा के खाते दर्ज थी जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य थे तथा सैटलमेंट विभाग की गलती के कारण भूमि अन्यत्र खाते लग गई तथा उनके (दानकर्ता) द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर दान करवाया है जो परित्याग की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण काबिल निरस्तनीय है। दौराने वाद दिनांक 26.07.2015 को वादी अपीलांट के पिता कल्ला पुत्र हीरा लाल की मृत्यु हो गई तथा दिनांक 29.09.2015 को वादी के वकील द्वारा मृतक के कायम मुकामान जो कि उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं तथा वर्तमान में अपीलांटगण है को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको रेकार्ड पर भी ले लिया था, किन्तु इसके बावजूद निर्णय जैर अपील जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसमें मृतक का वाद ही खारिज कर दिया, जबकि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय विधि के दृष्टि में शून्य है। इस कारण से निर्णय जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील दिनांक 21.10.2019 को निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेज के प्रकाश में उन दस्तावेजों पर पुनः साक्ष्य रिकार्ड करने के आदेश प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.03.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि खसरा नम्बर–38/2 रकबा 10.17 बीघा ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां मे स्थित है सेटलमेन्ट के बाद कृषि आराजी का नया नम्बर–116 है। (इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2008 पेश की है तथा खसरा नम्बर 38/2 के नये नम्बर–116 बने इस बाबत मिला क्षेत्रफल पेश है) वादी के पिता की कृषि आराजी सेटलमेन्ट की गलती से किशना जी के खाते दर्ज हो गयी तथा किशना जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भैरूलाल के खाते दर्ज हो गई तथा नामांतरण संख्या 38 सन् 1983 से भैरूलाल के खाते दर्ज हो गया। भैरूलाल द्वारा उक्त कृषि आराजी गुडकी लाल को बेच दी तथा गुडकीलाल ले उक्त कृषि भूमि मंदिर शंकर जी महाराज विराजमान भूमि खसरा नम्बर 102 जर्ये पुजारी दान कर दी। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.06.2016 की आदेशिका के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय लिख दिया था तथा निर्णय के ओपरेटिव पार्ट में गुडकी लाल के द्वारा दिये गये अन्तरण को धारा 42 आर. टी. एक्ट का उल्लंघन माना तथा मूल निर्णय दिनांक 21.10.2019 में गवाह पी– डब्ल्यू. 1 मेघराज, पी–डब्ल्यू. 2 रामकजोड, पी–डब्ल्यू. 3 बाबूलाल ने पूरे गावं मे भगवान शंकर का मंदिर नहीं होने का कथन किया है तथा प्रतिवादी के गवाह डी.डब्ल्यू. 3 ने भी भगवान शंकर के मंदिर नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार गवाहान ने भगवान शंकर का मंदिर नहीं देखा है। तनकी नम्बर–1 के निर्धारण में वादी द्वारा खतोनी 2009 के अनुसार खसरा नम्बर 38/2 रकबा 10.17 बीघा भूमि हीरालाल आत्मज छीत्या के खाते दर्ज है। नकल खतोनी बन्दोबस्त 2012–31 मे खाता संख्या 39 खसरा नम्बर 116 रकबा 10.17 बीघा भूमि माफी चाकरी किशना वल्द घांसी कोम चमार दर्ज हो गई इस प्रकार यह तथ्य साबित था कि भूमि हीरालाल के खाते दर्ज थी परन्तु न्यायालय मात्र इस आधार पर कि मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 38 रकबा 11.03 बीघा दर्ज है तो उक्त जमीन उससे मिलान नहीं खाती और तनकी नम्बर–1 खारिज कर दी जबकि जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल से बखूबी साबित था।

तनकी नम्बर–4 मे यह साबित था कि जो दान हुआ है वह अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा सवर्ण के पक्ष में अन्तरण किया है जो शून्य है तथा न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 08.06.2016 में इस अन्तरण को धारा 42 आर. टी. एक्ट का उल्लंघन माना है इस कारण से न्यायालय स्वयं अपने आदेश को रिव्यू नहीं कर सकता है।

उपरोक्त आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए आलोच्य निर्णय को निरस्त करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय के लिये रिमाण्ड फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वादीगण के पिता हीरालाल के खाते एवं कब्जे की होना बताया और हीरालाल की मृत्यु हो जाने से वादीगण को वैध वारिस एवं कायम मुकाम बताया एवं जाहिर किया कि उक्त भूमि सेटलमेन्ट की गलती से वादीगण के खाते नहीं आकर किशना के खाते लग गई। किशना फोत हो चुका है। किशना के मरने के बाद उक्त भूमि किशना के पुत्र भैरूलाल के नाम इंतकाल नम्बर–38 सन् 1983 से दर्ज हो गई, भैरूलाल ने उक्त जमीन गुड़कीलाल को बेच दी, गुड़कीलाल एवं प्रतिवादी क्रम–1 व 2 ने जालसाजी कर मंदिर के नाम रजिस्ट्री करा ली। गुडकीलाल अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। उसे उक्त भूमि दान करने का अधिकार नहीं था। इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 08.11.1992 एवं इंतकाल नम्बर–77 नल एण्ड वोईड है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। दावा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं जवाब दावे के आधार पर 5 तनकियात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दस्तावेज व साक्ष्य का उचित अवलोकन करते हुऐ तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड से पूर्णतया साबित है कि विवादित भूमि किशना की खातेदारी की है। माफी चौकीदारी, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 01.03.1960 को रिज्यूम कर दी गई। यह भूमि किशना की खातेदारी की रही है। किशना की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भैरूलाल के खाते में दर्ज की गई। भैरूलाल ने 11.04.1991 को गुडकीलाल को विक्रय कर दी और गुडकीलाल ने प्रतिवादी मूर्ति मंदिर को दिनांक 29.10.1992 को पंजीकृत विक्रय पत्र से दान कर दी तबसे यह मूर्ति की खातेदारी व कब्जे में है।

अपीलान्ट/वादीगण के द्वारा किशना के फोत होने पर उसके पुत्र भैरूलाल के हक में तस्दीक फोती इंतकाल नं. 38, सन् 1983 एवं भैरूलाल के द्वारा गुडकीलाल के हक में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 11.04.1991 एवं गुडकीलाल द्वारा मूर्ति मंदिर के हक में किये गये दान पत्र दिनांक 29.10.1992 को आज तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है। जब तक उक्त विक्रय पत्र एवं दान पत्र सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते तब तक वादी किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर किये गये इन्द्राज को बिना आधार के असत्य नहीं माना जा सकता। वादी उक्त आराजी अपने पिता हीरालाल के खाते व कब्जे की होना साबित नहीं कर सका और अपना कब्जा भी होना साबित नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में भी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा खारिज फरमायी जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में ए.आई. आर. 2007 एस.सी. पेज 989 (B), आर.आर.डी. 1989 पेज 150 की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के तहत ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा की विवादित आराजी खसरा नं. 38/2 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा को अपने पिता हीरा लाल के खाते एवं कब्जे काश्त की होना बताते हुए कथन किया है कि हीरालाल की मृत्यु हो गई है जिसके वादीगण वैध वारिस एवं कायम मुकाम है। सैटलमेंट में उक्त आराजी का खसरा नं. 38/2 था अब खसरा नं. 116 हो गया है तथा रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा है। सैटलमेंट ने उक्त आराजी गलती से किशना के खाते लगा दी। किशना के फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 38 सन् 1983 से किशना के पुत्र भैरूलाल के नाम दर्ज हुई। भैरूलाल ने उक्त जमीन गुडकीलाल को बेच दी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने जालसाजी करके मन्दिर के नाम से रजिस्ट्री करवा ली जिसका पुजारी स्वयं प्रतिवादी नं. 1 है। खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के पिता के नाम दर्ज होना चाहिए था। अतः खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम अल्लापुरा मठ मन्दिर प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम से खारिज कर वादीगण के खाते दर्ज कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3 को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवायी उभयपक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 21.10.2019 से वादी का वाद खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 प्रदर्श पी– 8 ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा के अनुसार खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा आराजी माफी चौकीदारी किशन्या वल्द घासी कौम चमार, साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम अल्लापुरा प्रदर्श पी– 7 के अनुसार गत खसरा नं. 38 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा के वर्तमान खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नं. 117 रकबा 6 बिस्वा बने है। नकल जमाबंदी संवत 2012 से 2015 प्रदर्श पी– 9 के अनुसार भी खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा आराजी माफी चौकीदारी किशना वल्द घासी कौम चमार साकिन देह के खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2045 से 2048 प्रदर्श पी– 3 के अनुसार खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा आराजी भैरूलाल पुत्र किशना कौम चमार, साकिन देह के खाते दर्ज है, जो नामान्तकरण सं. 38 से खातेदार किशना के फौत होने पर भैरूलाल के खाते दर्ज हुई है। नकल जमाबंदी संवत 2045 से 2048 में अंकित नोट नामान्तकरण सं. 116 से भैरूलाल के स्थान पर गुडकीलाल पुत्र देवा, कौम चमार दर्ज हुआ। नकल नामान्तरकरण सं. 77 प्रदर्श पी– 11 के अनुसार खातेदार गुडकीलाल पुत्र देवा कौम चमार निवासी खाखरा द्वारा खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नं. 117 रकबा 6 बिस्वा भूमि जर्ये पंजीकृत दान पत्र के अनुसार मन्दिर मूर्ति शंकर जी महाराज विराजमान के खाते दर्ज होना स्पष्ट है। नकल जमाबंदी संवत 2069–2072 ग्राम अल्लापुरा की विवादित आराजी खसरा नं. 116 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा प्रदर्श पी– 4 के अनुसार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रिज्यूम माफी मन्दिर मूर्ति श्री शंकर भगवान महाराज विराजमान साकिन देह के खाते दर्ज रिकार्ड है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल रजिस्टर खतौनी संवत 2009 प्रदर्श पी– 6 ग्राम अल्लापुरा के अनुसार खसरा नं. 38/2 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा आराजी वादी के पिता हीरा वल्द घासी, कौम चमार, साकिन देह की खातेदारी में दर्ज है। परन्तु खसरा नं. 38 की आराजी वादी के पिता के नाम दर्ज रही हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी– 7 के अनुसार गत खसरा नं. 38 से वर्तमान खसरा नं. 116 व 117 बने हैं यह स्पष्ट होता है। खसरा नं. 116 व 117 खसरा नं. 38/2 से बनना पत्रावली में सलंग्न मिलान क्षेत्रफल से साबित नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण वाद पत्र में अंकित अपने इस कथन को साबित करने में असफल रहे हैं कि अपने पिता हीरा लाल के खाते दर्ज आराजी खसरा नं. 38/2 के बाद सैटलमेंट नये खसरा नं. 116 बने हैं तथा खसरा नं. 116 की आराजी सैटलमेंट ने गलत तरह से किशना के खाते दर्ज की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुरूप होने से हम अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

09/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बाबूलाल पुत्र कल्ला
2– रामकजोड़ पुत्र कल्ला
3– मेघराज पुत्र कल्ला
4– भरोसी बाई पुत्री कल्ला
5– नटी बाई बेवा कल्ला जर्ये कायम मुकाम मृतक कल्ला पुत्र हीरालाल, जाति एरवाल, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... **अपीलांट**

बनाम

1– मूर्ति मंदिर शंकर जी महाराज विराजमान भूमि खसरा नम्बर 102 जर्ये पुजारी कन्हैयालाल पुत्र गोरीशंकर, जाति धाकड़, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां
2– गोरीशंकर पुत्र धन्नालाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकाम :–
2/1. जगदीश पुत्र स्वर्गीय गोरीशंकर
2/2. कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय गोरीशंकर
2/3. भूलीबाई पुत्री स्वर्गीय गोरीशंकर
2/4. भगवतीबाई पुत्री स्वर्गीय गोरीशंकर
2/5. द्वारका बाई पुत्री स्वर्गीय गोरीशंकर
जाति धाकड़, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज.)
3– जानकीलाल आत्मज हीरालाल, जाति एरवान, निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकाम :–
3/1. जगदीश पुत्र स्वर्गीय जानकीलाल, जाति एरवान निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज.)
4– द स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **21.10.2019**

अपील नं **2020/00039**
मु.द.नं0 **105/2013**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **09 माह 06 सन् 2025**

श्री **उत्पल शर्मा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से तथा **शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **09 माह 07 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)